



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 1 सितम्बर, 2010

भाद्रपद 10, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1105/79-वि०-1-10-1(क)29-2009

लखनऊ, 1 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर दिनांक 31 अगस्त, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तरांचल वेल्फेयर सोसायटी द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित यां आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 कहा संक्षिप्त नाम

जायेगा।